



आज के तेजी भरे जीवन में, हम शायद कभी रुक्कर सोचें कि अगर हमारे साथ कृष्ण दुर्माग्यपूर्ण हो जाए तो क्या हमारे परिवार के लिए उपलब्ध जीवन कवर पर्याप्त होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी अनुपस्थिती में आपका परिवार सुरक्षित है और वो आरामदायक जीवन जीते रहें हम आपके लिए अवीवा आई-लाइफ लाए हैं – आपके प्रियजनों के लिए एक सामान्य जीवन बीमा कवर नाममात्र लागत पर।

आपको झटपट सुविधा प्रदान करने के लिए, आप इस टर्म योजना को ऑनलाइन समय और प्रयास को बचाने के लिए खरीद सकते हैं जो कहीं और जरुरी है।

अवीवा आई-लाइफ लाभ

मृत्यु लाभ: पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी दुर्माग्यपूर्ण मौत के मामले में, बीमित राशि आपके परिवार के लाभार्थी को भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए

भुगतान किया जाएगा।

परिपक्वता लाभ: यह एक शुद्ध सुरक्षा योजना है और इसलिए कोई परिपक्वता लाभ देय नहीं है।

कर लाभ: धारा 80 सी के अनुसार कर लाभ लागू होंगे। कर कानून बदल सकते हैं।

योग्यता

बीमित राशि	न्यूनतम: ₹25,00,000 अधिकतम: कोई सीमा नहीं (अंडरराइटिंग पर निर्भर)
प्रवेश आयु	न्यूनतम: 18 साल (पिछला जन्मदिन) अधिकतम: 55 साल (पिछला जन्मदिन)
परिपक्वता आयु	अधिकतम: 70 साल (पिछला जन्मदिन)
प्रीमियम भुगतान आवृत्तियां	वार्षिक, अर्धवार्षिक
पॉलिसी शर्तें	न्यूनतम: 10 साल अधिकतम: 35 साल
प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी टर्म के बराबर
भुगतान आवृत्तियां	वार्षिक, अर्धवार्षिक (मॉडल कारक कमश: 1.0000 और 0.5108) हैं। किसी भी पॉलिसी वर्षगांठ पर प्रीमियम भुगतान के वार्षिक और अर्धवार्षिक तरीकों के बीच परिवर्तन में परिवर्तन शुल्क के भुगतान के अधीन वर्तमान में ₹ 100 है और समय-समय पर समीक्षा के अधीन है।
उपलब्ध राइडर्स	कोई नहीं
बड़ी बीमा राशि पर छूट	प्रीमियम दरें बीमित राशि के आकार पर निर्भर करती हैं – ₹50 लाख से कम, ₹50 लाख से ₹1 करोड़ से कम, ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ से कम और ₹5 करोड़ और इससे ऊपर। कृपया अपने किस्त प्रीमियम के प्रस्ताव के लिए प्रीमियम उद्घरण देखें।
महिलाओं के लिए छूट	पुरुषों के टैच्यूलर प्रीमियम दरों पर महिलाओं को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट।

जब रियायती अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है

यदि प्रीमियम की देय तिथि से 30 दिनों की छूट अवधि के भीतर नियमित प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपकी पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और जीवन बीमा तुरंत समाप्त हो जाएगा। पॉलिसी कोई सरेंडर या पेंड अप वैल्यू हासिल नहीं करेगी।

एक लैपस्ट नीति की बहाली

यदि आपकी पॉलिसी किसी भी समय अवधि के दौरान लैपस हो जाती है, तो इसे पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की तारीख से दो साल के भीतर बहाल किया जा सकता है। अपनी पॉलिसी को बहाल करने के लिए आपको निरंतर बीमा योग्यता का सबूत देना होगा क्योंकि कंपनी उपयुक्त मानती है और सभी देय प्रीमियम के साथ पुनरुद्धार शुल्क का भुगतान करती है। पुनरुद्धार शुल्क ₹250 है जो भारत की मंजूरी के IRDA के अधीन समीक्षा योग्य है।

नियम व शर्तें

चिकित्सा परीक्षा की लागत: पॉलिसी की शुरुआत में कंपनी द्वारा मेडिकल परीक्षा की लागत दी जाएगी। हालांकि, पुनर्स्थापन/पुनरुद्धार के समय चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता होने पर पॉलिसीधारक द्वारा इसे दिया जाना है।

बहिष्करण: 12 महीने के भीतर आत्महत्या के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में

i. पॉलिसी की शुरुआत की तारीख से, पॉलिसीधारक का नामांकित या लाभार्थी करों और अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के अलावा भुगतान किए गए प्रीमियम का 80 प्रतिशत का हकदार होगा, बशर्ते पॉलिसी लागू हो, या

i. पॉलिसी के पुनरुद्धार की तारीख से, पॉलिसीधारक का नामांकित या लाभार्थी उस राशि के हकदार होगा जो मृत्यु तिथि तक चुकाए गए प्रीमियम का 80 प्रतिशत से अधिक है, करों और अतिरिक्त प्रीमियम के लिए किसी भी भुगतान को छोड़कर, या सरेंडर वैल्यू पर उपलब्ध है।

नमांकन और समर्पण: समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार नामांकन की अनुमति है, इस पॉलिसी के अंतर्गत आता है।

इस नीति के तहत समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार समर्पण की अनुमति है।

फ्रीलुक अवधि: आपको पॉलिसी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने का अधिकार है, जो पॉलिसी दरतावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर बहाल किया जा सकता है। यदि आप फ्रीलुक अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द करते हैं तो कंपनी आपको अनुमानित जोखिम और चिकित्सा और स्टाम्प छ्यूटी पर किए गए खर्चों की कटौती करने के बाद प्रीमियम वापस कर देगी।

धारा 41: बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार (1) किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति देने या किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में बीमा, पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम के पूरे या हिस्से के किसी भी छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम का कोई छूट लेने या नवीनीकरण करने या जारी रखने की अनुमति देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और न ही कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी ले रहा है या नवीनीकरण कर रहा है या पॉलिसी जारी रखता है। इस तरह की छूट को छोड़कर, प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या बीमाकर्ता की सारणी के अनुसार अनुमति दी जा सकती है।

इस तरह की स्वीकृति के समय अपने स्वयं के जीवन को इस उपधारा के अर्थ में प्रीमियम के छूट के रूप से समझा नहीं जाएगा। बशर्ते कि जीवन बीमा पॉलिसी की पॉलिसी के संबंध में कमीशन के बीमा एजेंट द्वारा स्वीकृति दी गई हो, बीमा एजेंट निर्धारित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित एक पूर्ण बीमा एजेंट है।

(2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई भी व्यक्ति दोषी के रूप से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 45: समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अनुसार, तीन वर्ष के बाद गलतफहमी के आधार पर नीति को प्रश्न के धोरे में नहीं रखा जाना चाहिए।

अवीवा के बारे में

अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ड्यूबर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड – यूके रिथित बीमा समूह, जिसका भारत के साथ चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता होने पर पॉलिसीधारक द्वारा इसे दिया जाना है।

1884 में स्थापित डावर समूह, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।

1884 में स्थापित डावर समूह, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।

अवीवा आई-लाइफ, पारंपरिक बोन-पॉर्टिंगेटिंग जीवन बीमा योजना है। कर संबंधी लाभ वर्तमान कानूनों के अनुसार लागू, जो बदल सकते हैं।

यदि आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं या यदि आपके पास कोई प्रश्न या शिकायत है,

नीचे दिए गए गंभीरों पर संपर्क करें:

अधिक जानकारी के लिए, 1800-103-8000 पर कॉल करें (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ताओं के लिए टोल-फ्री)

या 0124-2709046 या SMS "Aviva" to 5676737, वेबसाइट: www.avivaindia.com

AVIVA

| Life Insurance |

डावर इन्वेस्ट कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के मध्य एक संयुक्त उद्यम

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122), पंजीकृत कार्यालय: दिल्ली मण्डिल, प्रकाशदीप विलिंग, नं. 7, टॉलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत।

अवीवा जीवन बीमा कंपनी इंडिया लिमिटेड (IRDA पंजीकरण संख्या 122), पंजीकृत कार्यालय: दिल्ली मण्डिल, प्रकाशदीप विलिंग, नं. 7, टॉलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत।

मुख्य कार्यालय: अवीवा टावर, सेक्टर रोड, गोल्फ कोर्स के सामने, डीए